उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
आई.टी. पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135 -2608125 फैक्स : 2608126
ईमेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in
urrda@yahoo.com

पत्रांक: 1584 / एमओ1–03(iv) / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2014 दिनांक: 02 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2015

दिनांक 26.08.15 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 26.08.15 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गयी। जिसकी उपस्थिति संलग्नक–1 पर प्रस्तुत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारीगणों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये। बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है–

सर्वप्रथम मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में विश्व बैंक पोषित कार्यों एवं सामान्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत फेज़–3 से 8 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की प्राथमिकता है, तदुपरान्त एजेन्डावार समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1. **आर0आर0पी0–II के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में :** विश्व बैंक पोषित अपूर्ण कार्यों की वृत्तवार समीक्षा की गई, जिसके सापेक्ष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराई गई कार्ययोजना का विवरण निम्नानुसार है–

वृत्त / माह	कुल अपूर्ण कार्य	सितम्बर, 15	अक्टूबर, 15	नवम्बर, 15	दिसम्बर, 15	जनवरी, 16	फरवरी, 16	मार्च, 16	जून, 16	सितम्बर, 16	योग
अल्मोड़ा	39	06	06	03	03	–	02	07	03	09	39
ज्योलीकोट	17	02	01	01	04	–	02	03	04	–	17
पिथौरागढ़	33	03	08	01	01	–	–	09	03	08	33
मसूरी	42	03	01	02	04	03	07	04	05	13	42
श्रीनगर	32	10	01	04	02	–	–	03	12	–	32
गोपेश्वर	59	07	13	13	–	–	–	06	18	02	59
योग	222	31	30	24	14	3	11	32	45	32	222

- पी0आई0यू0, काठगोदाम द्वारा अवगत कराया गया कि कौरब मौना सरगाखेत मोटर मार्ग मिसिंग लिंक के किमी0–2 में 24मी0 स्पान का सेतु प्रस्तावित था, दोनों एबटमैन्ट्स निर्मित किये जा चुके थे किन्तु वर्ष 2013–14 की वर्षा में दोनों तरफ की पहाड़ियों में क्रॉनिक स्लिप जोन विकसित हो गया तथा बड़े–बड़े बोल्डर आने से दोनों एबटमैन्ट्स भी क्षतिग्रस्त हो गये। भूवैज्ञानिक द्वारा भी वहां पर सुरक्षित स्थान नहीं बताया गया। दोनों तरफ के जोन को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थान पर सेतु के स्थान पर वेन्टेड कॉज़वे निर्मित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ता, कुमाँऊ क्षेत्र द्वारा स्थल निरीक्षण कर तकनीकी दृष्टि से जो संरचना उचित हो, उसका निर्णय लिया जाये तथा अधीक्षण अभियन्ता उक्त कार्य की कार्ययोजना यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित करें।

- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, मसूरी द्वारा अवगत कराया गया कि पी0आई0यू0, पुरोला के 02 कार्यों में ठेकेदार सम्बन्धी समस्याएं हैं। निर्देश दिये गये कि राजगढ़ी से सरनौल मोटर मार्ग का अनुबन्ध समाप्त करें तथा अवशेष कार्य की बी0ओ0क्यू0 तुरन्त प्रेषित करते हुए दिनांक 01.09.15 को कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित करें। सम्बन्धित ठेकेदार को 15 दिवस के अन्दर अन्तिम माप लेने सम्बन्धी नोटिस तत्काल जारी करें तथा समस्त आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रत्येक दशा में दिनांक 25.09.15 तक ठेकेदार का अनुबन्ध समाप्त करें। कार्य की अन्तिम माप लेने एवं अवशेष कार्य की निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं को एक साथ सम्पादित करने के निर्देश दिये गये। पी0आई0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि ओ0डी0आर0–6 (मोरी) से नानई मोटर मार्ग के सम्बन्ध में ठेकेदार को दिनांक 27.08.15 को बुलाया गया है, जिस पर तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिये गये।

- उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह भी निर्देश दिये गये कि जिन कार्यों में ठेकेदार अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को योजनान्तर्गत ब्लैकलिस्ट किया जाये। पी0आई0यू0, पुरोला द्वारा राजगढ़ी से सरनौल मोटर मार्ग से सम्बन्धित प्रकरण तैयार कर तुरन्त यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित किया जाये।

- पी0आई0यू0, कालसी के जे0पी0आर0आर0 मार्ग किमी0–156 से रडू–मुन्धोल मोटर मार्ग स्टेज–2 के सम्बन्ध में भी तत्काल सख़्त निर्णय लेने के निर्देश दिये गये।

- वनभूमि प्रकरणों के सम्बन्ध में 5 है0 से कम वनभूमि की स्वीकृति हेतु राज्य को प्रदत्त अधिकारों की समयसीमा माह–नवम्बर, 15 तक है, अतः इसका अधिकतम सदुपयोग किया जाये। जिन कार्यों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है उनमें म्यूटेशन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जाये तथा भूमि उपलब्धता हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश भी दिये गये। वनभूमि सम्बन्धी सहायता हेतु आवश्यकतानुसार वनाधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 से सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।

2. **सामान्य PMGSY के फेज़–3 से 8 तक के प्रगतिरत/अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की कार्ययोजना :** फेज़–3 से 8 तक के अपूर्ण कार्यों की फेज़वाइज समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

फेज़–3 : पी0आई0यू0, पिथौरागढ़–2 में फेज–3 का 01 कार्य अवशेष है, जिसे माह–अक्टूबर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा दी गई।

फेज़–5 : पी0आई0यू0, बागेश्वर में कौसानी से भतरिया मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन सेतु की प्रगति के सम्बन्ध में पी0आई0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि एबटमैन्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है सेतु का निर्माण कार्यशाला में किया जा रहा है। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कुमाँऊ क्षेत्र को निर्देशित किया गया कि सेतु का निर्माण जिस कार्यशाला में हो रहा है, उसका तत्काल स्वयं निरीक्षण करें तथा सेतु का Ground Erection भी अतिशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। पी0आई0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.12.15 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। पी0आई0यू0, कपकोट में कन्यालीकोट से जगथाना मोटर मार्ग पर सेतुओं का निर्माण दिनांक 15.09.15 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। पी0आई0यू0, धारचूला में मदकोट से दारमा मोटर मार्ग में समरेखण विवाद के कारण मार्ग के अनारम्भ भाग को छोड़ते हुए अनुबन्ध को दिनांक 15.10.15 तक Short Close करने एवं उक्त तिथि तक ही अवशेष कार्य की डी0पी0आर0 प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। पी0आई0यू0, कालसी में लाखामण्डल से खारसी मोटर मार्ग हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने तथा पीपरा–मीनस से बायला मोटर मार्ग को माह–दिसम्बर, 16 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये, जिस हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। पी0आई0यू0, पोखरी में सेमी पनई से उत्तरों मोटर मार्ग दिनांक 30.09.15 तक पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गोपेश्वर द्वारा आश्वासन दिया गया।

फेज़–6 : पी0आई0यू0, अल्मोड़ा–1 में सुनियाकोट से मटेला मोटर मार्ग के अवशेष समस्त आवश्यक कार्यों का समावेश करते हुए बी0ओ0क्यू0 तैयार कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करते हुए कार्य को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 स्वयं इसे देखें। पी0आई0यू0, ज्योलीकोट द्वारा एमडीआर–25 से लमजोला मोटर मार्ग तथा मार्ग के किमी0–1 में निर्माणाधीन सेतु का कार्य जनवरी, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, टिहरी–2 में ज्वारना से कन्स्यूड मोटर मार्ग में वनभूमि की स्वीकृति के कारण विलम्ब हुआ, कार्य को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, उत्तकाशी द्वारा बन्दरकोट से पंजियाला मोटर मार्ग को नवम्बर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, पोखरी में लासी से सरतोली मोटर मार्ग को दिनांक 30.11.15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। मारवाड़ी से थैंग मोटर मार्ग में अवशेष 7 किमी0 हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं, जिस हेतु एक सप्ताह में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा सैंजीलग्गा मैकोट से बेमरू मोटर मार्ग को अगस्त, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कर्णप्रयाग–1 द्वारा लोहाजग से बांक मोटर मार्ग को फरवरी, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई।

फेज़–7 : पी0आई0यू0, बागेश्वर द्वारा कौसानी से भतरिया मोटर मार्ग स्टेज–2 को अक्टूबर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, द्वाराहाट में तड़ागताल से खाला मोटर मार्ग पूर्ण हो चुका है, जिसकी ओ0एम0एम0ए0एस0 में एन्ट्री के निर्देश दिये गये। पी0आई0यू0, सल्ट द्वारा झीमार से भीताकोट मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, ज्योलीकोट द्वारा फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग भाग–1 एवं भाग–3 को नवम्बर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई तथा भाग–2 के सम्बन्ध में वनभूमि में वृक्षों की संख्या सम्बन्धी स्वीकृति हेतु कार्यवाही कर कार्य को मार्च, 16 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट इसे स्वयं देखें तथा कार्य की निरन्तर समीक्षा कर ससमय पूर्ण करायें। एमडीआर–25 से लमजोला मोटर मार्ग पर सेतु के कार्य को जनवरी, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, चम्पावत द्वारा धौन से सल्ली मोटर मार्ग को नवम्बर, 15 तक, अमोड़ी से छतकोट मोटर मार्ग एवं सयाला से पोथ मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, पिथौरागढ़–1 में मणमांडले से गुरछू मोटर मार्ग की पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्य को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा दोबांस से बथोली मोटर मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग के

अधीक्षण अभियन्ता से वार्ता कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 को अवगत कराने के निर्देश दिये गये। पी0आई0यू0, पिथौरागढ़–2 द्वारा छेड़ा से आगर मोटर मार्ग को सितम्बर, 15 तक, चण्डाक से चमाली मोटर मार्ग को जनवरी, 16 तक तथा गंगोलीहाट–पवाधार–चोरपाल मार्ग किमी0–12 से गनूरा मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, डीडीहाट द्वारा सानदेव से तुरगोली मोटर मार्ग भाग–1 एवं भाग–2 को अक्टूबर, 15 तक, सानदेव से ननपापौ मोटर मार्ग को तथा हलियाजोब से गरांऊ मोटर मार्ग को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कालसी में सहिया समाल्टा डडोल मसराड़ मोटर मार्ग निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्य पूर्ण करने की तिथि की सूचना नहीं दी गई। पी0आई0यू0, टिहरी–1 द्वारा गोना से कोट मोटर मार्ग को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, नरेन्द्रनगर द्वारा पौड़ीखाल से तोली चपोली मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, उत्तरकाशी द्वारा नाकुरी से सिंगोठ मोटर मार्ग नवम्बर, 15 तक, धरासू–चिन्यालीसौड़ से बनकोट मोटर मार्ग एवं सिलक्यारा–बनगांव–चोपड़ा–सरोट से बनाड़ी मोटर मार्ग को अक्टूबर, 16 तक तथा झान्सू से झान्जा मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। जामक से बयाणा मोटर मार्ग को मार्च, 16 में पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, पुरोला में 01 कार्य निरस्त होना है, जिस हेतु अधीक्षण अभियन्ता, मसूरी को निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिये। दणमाणगांव–पासा–पोखरी से नानई भदरासू मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक, चकरगांव–बड़कोट से कन्सेरू मोटर मार्ग, मैनद्रथ से भक्वाड़ गांव मोटर मार्ग एवं पौंटी से कान्सी मोटर मार्ग को अगस्त, 16 तक पूर्ण करने हेतु सहमति दी गई। कुन्साला से कुपड़ा मोटर मार्ग निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्य पूर्ण करने की तिथि की सूचना नहीं दी गई। पी0आई0यू0, श्रीनगर द्वारा माजरा महादेव से सौंठ मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, सतपुली द्वारा लवाड़ से बन्दू मोटर मार्ग को जून, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कीर्तिनगर द्वारा सिरकाखाल से सरक्याना मोटर मार्ग को मार्च, 16 एवं किलकिलेश्वर से नैथाना मोटर मार्ग को अक्टूबर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, पोखरी द्वारा निजमूला से ईरानी–गोना–पाणा मोटर मार्ग को जून, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कर्णप्रयाग–1 द्वारा घेस से बलाण मोटर मार्ग को नवम्बर, 15 तक, मालगढ़ से मजियाड़ी मल्ली मोटर मार्ग एवं थराली से किमाणी मोटर मार्ग को अक्टूबर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई।

फेज़–8 : पी0आई0यू0, अल्मोड़ा–1 में सुपईखान से बमनतिलाड़ी मोटर मार्ग एवं एस0एच0–37 के किमी0–219 से सुनालीमाफी मोटर मार्ग पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी ओ0एम0एम0ए0एस0 में एन्ट्री हेतु सम्बन्धित पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये। भागादेवली से मेरगांव मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक मन्थागढ़ से बन्थोक मोटर मार्ग को जुलाई, 16 तक पूर्ण किये जाने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, अल्मोड़ा–2 में पथलीबाग से बरसीमी मोटर मार्ग पूर्ण हो चुका है, जिसकी ओ0एम0एम0ए0एस0 में एन्ट्री हेतु सम्बन्धित पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये। पी0आई0यू0, बागेश्वर में बैजनाथ से तिलसारी मोटर मार्ग पूर्ण हो चुका है, जिसकी ओ0एम0एम0ए0एस0 में एन्ट्री हेतु सम्बन्धित पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये। भिलोना से पगना मोटर मार्ग को अक्टूबर, 15 तक पूर्ण किये जाने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कपकोट में भनारलाथी से नामतीचेताबगड़ मोटर मार्ग को जून, 16 तक पूर्ण किये जाने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, द्वाराहाट द्वारा ऐना से जाख भितरकोट मोटर मार्ग को जनवरी, 16 तक पूर्ण किये जाने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, सल्ट द्वारा चिचौन से ऐराड़ीबिष्ट मोटर मार्ग को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण किये जाने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, ज्योलीकोट द्वारा फतेहपुर से बेल मोटर मार्ग के किमी0–6, 8 व 25 पर सेतुओं को फरवरी, 16 तक तथा किमी0–12 व 18 पर सेतुओं को जून, 16 तक पूर्ण किये जाने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, टिहरी–1 में बागी से हलेथ सिलारी मोटर मार्ग में विवाद है, जिस हेतु

जिला प्रशासन से सहयोग लेने के निर्देश दिये गये। घुत्तू देवलंग से भटगांव मोटर मार्ग को दिसम्बर, 15 तक, भेलून्ता से मायाहलेथ मोटर मार्ग को जनवरी, 16 तक तथा धोपड़धार से समनगांव मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, टिहरी–2 द्वारा कान्धलाबैण्ड से कटखेत मोटर मार्ग को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कोटद्वार द्वारा नौडखाल से मालाकोटा मोटर मार्ग पर सेतु को नवम्बर, 15 तक, खीमाखेत से रैवा मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक तथा ऐता से चरेख मोटर मार्ग, कोटद्वार से हरिद्वार मोटर मार्ग एवं किलबोखाल से टिकोलीखाल मोटर मार्ग पर सेतु को जून, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, बैजरो द्वारा सिमरी से काण्डामल्ला मोटर मार्ग को दिसम्बर, 15 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कीर्तिनगर द्वारा हिन्डोलाखाल से पलेथी मालू मरोड़ मोटर मार्ग को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, पोखरी द्वारा पनईसिमी से उत्तरौं मोटर मार्ग पर सेतुओं को जून, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई। पी0आई0यू0, कर्णप्रयाग–1 द्वारा देवाल से खेता मोटर मार्ग एवं सेतु को नवम्बर, 15 तक, डूंगरी से रतगांव मोटर मार्ग पर सेतु एवं बूंगा से कोलपड़ी मोटर मार्ग पर सेतु को अक्टूबर, 15 तक तथा घेस से बलाण मोटर मार्ग पर सेतु को मार्च, 16 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई।

- उक्त सभी कार्यों हेतु अवगत कराई तिथियों के सम्बन्ध में लिखित विवरण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 05.09.15 तक यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रस्तुत करें।
- जो कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो गये हैं किन्तु उनकी एन्ट्री ओ0एम0एम0ए0एस0 में न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी तत्काल एन्ट्री करने के निर्देश दिये गये।
- जिन कार्यों में पी0सी0 का कार्य किये जाने में समस्या आ रही है, उनमें नई तकनीक यथा–कोल्ड मिक्स, आर0बी0आई0–81 आदि का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये।

3. **भौतिक रूप से पूर्ण कार्य जिनका वित्तीय अन्तिमीकरण शेष है :** ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को अनुश्रवण कर अन्तिमीकरण कराने के निर्देश दिये गये।
4. **DLP के अन्तर्गत अनुरक्षण की मासिक प्रगति तथा एम–2 प्रारूप पर प्रत्येक माह विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में :** एम–2 प्रारूप के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्ण मार्गों के अनुरक्षण पर राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि व्यय की जा रही है, उसके अनुरूप मार्गों का अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है, अतः इसका सघन अनुश्रवण किया जाये, इस हेतु एम–2 प्रारूप पर सूचना अंकित कर प्रेषित करने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे, परन्तु ये सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिस कारण प्रत्येक माह मार्गों के अनुरक्षण हेतु ऑथराइजेशन जारी करने में कठिनाई हो रही है। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं इसका अनुश्रवण करें।
5. **निर्मित मोटर मार्गों की Road & Bridge Inventory एवं Condition Survey :** एन0आर0आर0डी0ए0, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस हेतु प्रेषित प्रारूपों पर सूचना अंकित कर यथाशीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
6. **वर्ष 2015–16 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा :** वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में पी0आई0यू0, अल्मोड़ा–2, कपकोट, सल्ट, ज्योलीकोट, चम्पावत, देहरादून, पुरोला एवं पोखरी की वित्तीय प्रगति 10 प्रतिशत से भी कम होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा माह–अगस्त, 15 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत–प्रतिशत उपलब्धि हेतु निर्देश दिये गये।

7. **गत बैठक के क्रम में निजी भूमि/निजी सम्पत्ति प्रकरण गठन एवं वितरण की समीक्षा :** प्रतिकर प्रस्ताव गठन की वृत्तवार समीक्षा के उपरान्त निर्देश दिये गये कि मसूरी एवं श्रीनगर वृत्त के अतिरिक्त अन्य वृत्तों द्वारा अभी भी अधिक संख्या में प्रस्ताव गठित किये जाने हैं, चूंकि मा0 जनप्रतिनिधियों के समक्ष स्थानीय जनता द्वारा सर्वाधिक प्रकरण प्रतिकर सम्बन्धी ही उठाये जाते हैं, अतः इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास कर प्रस्ताव गठन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

8. **गुणवत्ता नियन्त्रण के अन्तर्गत First Tier की समीक्षा एवं SQM/NQM की लम्बित ए0टी0आर0 की समीक्षा :** प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जिन पी0आई0यू0 द्वारा अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, उन्हें निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त एस0क्यू0एम0 एवं एन0क्यू0एम0 की लम्बित ए0टी0आर0 के सम्बन्ध में राज्य गुणवत्ता समन्वयक द्वारा तीन वर्ष पुरानी ए0टी0आर0 भी अभी तक लम्बित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा इस हेतु तत्काल वांछित कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

9. **रेस्टोरेशन के कार्यों की समीक्षा :** दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि इन कार्यों की धीमी प्रगति से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य दैवीय आपदा के न होकर सामान्य प्रकृति के हैं, अन्यथा इन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए था। निर्देश दिये गये कि आपदा के अवशेष कार्यों को दिसम्बर, 15 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाये।

10. **वर्ष 2014–15 में अधिकारियों/कर्मचारियों की ACR की स्थिति :** ए0सी0आर0 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अभिलेखों के रूप में ए0सी0आर0 प्रपत्र सक्षम स्तर पर उपलब्ध होने चाहिए, अतः इस पर पूर्व में प्रेषित आदेशों/पत्रों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

11. **वर्षाकाल में निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों की क्षति :** इस सम्बन्ध में बन्द मार्गों का अनुश्रवण कर मार्गों को शीघ्र खोले जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 दिये गये निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून एवं कुमाँऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियंत्रक, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता–। एवं ।।, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता–। एव ।।, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
8. वनाधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।

(ए0के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता

दिनांक 26.08.15 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग की उपस्थिति

1. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कुमाँऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / एस0क्यू0सी0, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, मसूरी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, अल्मोड़ा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, पिथौरागढ़।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, ज्योलीकोट।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, श्रीनगर।
11. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, गोपेश्वर।
12. अधिशासी अभियन्ता–प्रथम, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
13. वनाधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
14. सहायक अभियन्ता–द्वितीय एवं चतुर्थ, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
15. सोशल नोडल अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
16. पर्यावरण नोडल अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
17. आई0टी0 कोऑर्डिनेटर, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
18. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), अल्मोड़ा–1।
19. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), अल्मोड़ा–2।
20. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), बागेश्वर।
21. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कपकोट।
22. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), द्वाराहाट।
23. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), सल्ट।
24. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), ज्योलीकोट।
25. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), काठगोदाम।
26. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), चम्पावत।
27. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), लोहाघाट।
28. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), पिथौरागढ़–1।
29. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), पिथौरागढ़–2।
30. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), डीडीहाट।
31. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), धारचूला।
32. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कालसी।
33. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), देहरादून।
34. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), टिहरी–1।
35. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), टिहरी–2।
36. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), नरेन्द्रनगर।
37. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तरकाशी।
38. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), पुरोला।
39. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), श्रीनगर।
40. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कोटद्वार।
41. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), सतपुली।
42. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), बैजरो।
43. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कीर्तिनगर।
44. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कर्णप्रयाग–1।
45. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कर्णप्रयाग–2।
46. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), रूद्रप्रयाग।
47. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), जखोली।